पंजीकृत संख्या—यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2012—14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 ई0 (अग्रहायण 29, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

दिसम्बर 05, 2014

सं0 एफ-9(2) (I) आरजी / यूईआरसी / 2014 / 1685: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2004 (प्रधान विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:—

1. संक्षिप्त नाम एंव प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2014 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रमुख विनियम के नियम (15) की उपनियम (2) के उपरान्त अन्त में निम्न जोड़ा जायेगा:

(3) आयोग में कार्य करने वाले पूर्णकालिक व्यक्तिगत परामर्शी(यों) की अनुबन्धित अवधि में 11 माह पर कुल 11 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होंगे जो कि अनुबन्धित अवधि तक संचित रहेंगे।

(4) आयोग में कार्य करने वाले पूर्णकालिक व्यक्तिगत परामर्शी(यों) को प्रत्येक पूर्ण माह में कुल 02 दिवस का उपार्जित अवकाश भी अनुमन्य होंगे।

(5) व्यक्तिगत परामर्शी(यों) को आकस्मिक अवकाश में जाने से पूर्व रिर्पोटिंग अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(6) परामर्शी(यों) को उपार्जित अवकाश में जाने से पूर्व में कम से कम 03 सप्ताह अग्रिम में आयोग से लिखित अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(7) अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर किसी प्रकार का अवकाश अग्रेसित नहीं होगा तथा अवकाश शेष रहने की दशा में कोई अतिरिक्त मानदेय देय नहीं होगा।

(8) व्यक्तिगत परामर्शी(यों) के अवकाश का लेखा आयोग के प्रशासनिक अनुभाग द्वारा रखा जायेगा तथा जिसको सम्बन्धित के मासिक बिल में सत्यापित किया जाना होगा।

(9) अवकाश की किसी भी शर्त को संशोधन करने का अधिकार आयोग के पास निहित होगा।